बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या–08/नियम संशोधन–07–01/2021– (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (बिहार अधिनियम 8, 1885) की धारा–189 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **"बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2026"** अधिसूचना सं0–180(8)/रा0, दिनांक–10.06.2026 द्वारा अधिसूचित है, जो बिहार गजट असाधारण अंक 607, दिनांक–11.06.2026 में प्रकाशित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–08/नियम संशोधन–07–01/2021– 205 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–19.06.25

ई-मेल

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल, बिहार के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/विद्वान महाधिवक्ता, बिहार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई-मेल

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक–08.06.2026 की बैठक के मद संख्या–25 के प्रसंग में गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैंनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर गजट की प्रति आज ही अपलोड करेगें।

19/6/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 607) पटना, बृहस्पतिवार, 11 जून 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2026

अधिसूचना
10 जून 2026

सं0सं0 08/नियम संशोधन–07–01/2021/180 (8) रा0—बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा–189 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार काश्तकारी नियमावली, 1885 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली **"बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2026"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार काश्तकारी नियमावली, 1885 के नियम–23(2)(i)(क) का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम–23 (2)(i)(क) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

23(2)(i)(क) नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित रैयती जमीन की मापी हेतु प्रति खेसरा ₹ 2000/–एवं अधिकतम ₹ 8000/–(खेसरों की संख्या चार या चार से अधिक खेसरा होने पर) मापी शुल्क निर्धारित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा ₹ 1000/–एवं अधिकतम ₹ 4000/–(खेसरों की संख्या चार या चार से अधिक खेसरा होने पर) मापी शुल्क निर्धारित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

शहरी क्षेत्र में तत्काल मापी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रति खेसरा ₹ 4000/–एवं अधिकतम ₹ 16000/–(खेसरों की संख्या चार या चार से अधिक खेसरा होने पर) मापी शुल्क निर्धारित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल मापी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रति खेसरा ₹ 2000/–एवं अधिकतम ₹ 8000/–(खेसरों की संख्या चार या चार से अधिक खेसरा होने पर) मापी शुल्क निर्धारित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

अंचल अमीन द्वारा मापी की कार्रवाई अधिकतम 02 (दो) कार्य दिवस के भीतर निष्पादित किया जायेगा।

जमीन की मापी हेतु आवेदन–पत्र ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावार एवं शहरी क्षेत्र में वार्डवार अलग–अलग समर्पित किया जायेगा।

उक्त मापी शुल्क का पुनरीक्षण राज्य सरकार कार्यकारी आदेश द्वारा समय–समय पर कर सकेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय सिंह,
सचिव।

The 10th June 2026

No.-08/niyam sanshodhan-07-01/2021-180 (8)/Ra—In exercise of the powers conferred under section 189 of the Bihar Tenancy Act, 1885, the State Government hereby makes the following rules to amend the Bihar Tenancy Rules, 1885 (as amended from time to time):-

1. Short title, extent and commencement:-(1) This rule may be called the **"Bihar Tenancy (Amendment) Rules, 2026."**

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Substitution of Rule-23(2)(i)(a) of the Bihar Tenancy Rules, 1885.**-Rule-23(2)(i)(a) of the said Rules shall be substituted by the following.-

23(2)(i)(a) For the measurement of raiyati land located in Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat area, per Khesra ₹ 2000/- and maximum ₹ 8000/- (If the number of plots is four or exceeding four) measurement fee is fixed, which will be deposited online by the applicant.

In rural areas, per khesra ₹ 1000/- and maximum ₹ 4000/- (If the number of plots is four or exceeding four) measurement fee is fixed, which will be deposited online by the applicant.

In the case of application received for immediate measurement in urban area per Khesra, ₹ 4000/- and maximum ₹ 16000/- (If the number of plots is four or exceeding four) measurement fee is fixed, which will be deposited online by the applicant.

In the case of the application received for immediate measurement in rural areas per Khesra, ₹ 2000/- and maximum ₹ 8000/- (If the number of plots is four or exceeding four) measurement fee is fixed, which will be deposited online by the applicant.

Measurement work will be executed by Amin within a maximum of 02 (two) working days.

The application form for measurement of land will be submitted separately in rural areas, revenue mauza wise and ward-wise in urban areas.

The State Government may revise the said measurement fee from time to time by executive orders.

By order of the Governor of Bihar,
Jai Singh,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 607-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in